<u>न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश/फास्ट ट्रैक कोर्ट, उन्नाव।</u>
सत्र वाद संख्या–678/2020
सरकार.....बनाम.....दिव्या अवस्थी आदि
मु0अ0सं0–188/2020
धारा–147,148,149,302,34,120बी भा0दं0सं0
व 7 सी0एल0ए0 एक्ट
थाना–गंगाघाट, जिला उन्नाव।

<u>दिनांक–16.10.2021</u>

पुकार पर पत्रावली पेश हुई।

प्रार्थी/अभियुक्त सन्तोष बाजपेई के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रार्थना पत्र 14ख अन्तर्गत धारा–227 दं0प्र0सं0 प्रस्तुत कर निम्न कथन किया है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट के अनुसार दिनांक 19.06.2020 को दोपहर 03 बजकर 30 मिनट पर जब मृतक उन्नाव कचेहरी से प्रथम सूचना रिपोर्ट में नामजद अभियुक्तो द्वारा पुरानी रंजिश को लेकर पीछा करने की जानकारी हुई तो वह अपने साथी मुख्तार निवासी अहमद नगर की मोटर साईकिल पर बैठकर जान बचाकर शुक्लागंज की ओर भाग आया। जैसे ही मृतक सहजनी चौराहे से 100 मीटर आगे पहुंचा वैसे ही नामजद अभियुक्तगण गाड़ियो से पीछे से आ गये और प्रार्थी के भाई को जान से मारने की नियत से ताबड़तोड़ गोलियां बरसायी। जिससे प्रार्थी का भाई मौके पर लहूलुहान हो गया और मौके पर ही उसने दम तोड़ दिया। फिर भी प्रार्थी अपने भाई को हैलट अस्पताल कानपुर लेकर आया जहां डाक्टरो ने उसे मृत घोषित कर दिया। इस घटना की सूचना दिनांक 19.06.2020 को रात्रि 23 बजकर 10 मिनट पर थाने पर अंकित कराई गई। पुलिस ने विवेचना प्रारम्भ की और घटना में साथ रहे मृतक के मित्र मुख्तार का बयान अंकित किया। जिसमें उसने बताया कि एक मोटर साइकिल से दो लोग बैठकर आये और शुभम माणि को पीछे से गोली मार दी झटके से उसकी गाड़ी फिसल गई फिर वह उठकर भाग गया। फिर एक मोटर साइकिल आई उस पर भी दो लोग बैठे थे उन लोगों ने कहा मार डालो बच गया है इस गवाह द्वारा फोन करने पर शुभम के जानने वाले व पुलिस आई और पुलिस शुभम को वीरेन्द्र की गाड़ी से अस्पताल ले गयी। पुलिस ने दिनांक 23.06.2020 को नामजद अभियुक्त सहनबाज को गिरफ्तार किया इस अभियुक्त के बयान के आधार पर नामित अभियुक्तो के अतिरिक्त पांच अन्य अभियुक्त प्रकाश में आये और अपराध में धारा–120बी भा0दं0सं0 की बढ़ोत्तरी की गई। इस अभियुक्त के बयानो में प्रार्थी का अपराध के षडयन्त्र में शामिल होना नहीं कहा गया है और ना ही सह–अभियुक्त अफसर अहमद व अब्दुल बारी के ही बयानो में प्रार्थी का नाम आया है। दिनांक 26.06.2020 को पर्चा नं0–7 को एक गवाह मोहित कुमार शुक्ला का बयान अंकित किया गया। इस गवाह ने अपने बयान में मृतक व अभियुक्त दिव्या अवस्थी की

रिश्तेदारी व दोनो के बीच रंजिश का प्रकरण बतलाते हुए मृतक शुभम मणि त्रिपाठी द्वारा इस गवाह की कुछ मुल्जिमानो द्वारा पीछा करने की बात बतायी गई है। इस बयान में प्रार्थी के नाम का कोई भी उल्लेख षडयन्त्र कारियों में नहीं है। मोहित शुक्ला के बयानो के पश्चात कई अभियुक्तो की गिरफ्तारी की गई जिनके बयान लिये गये। जिसमे अभियुक्त सूफियान, मो0 शानू उर्फ गांधी, टीपू सुल्तान व कन्हैया अवस्थी व दिव्या अवस्थी को भी गिरफ्तार किया गया उनके मोबाइल कब्जे में लिये गये। इन अभियुक्तो के बयानो में भी प्रार्थी का नाम नहीं आया है। दिनांक 30.06.2020 को साक्षी मोहित कुमार शुक्ला जिसका बयान पूर्व में दिनांक 26.06.2020 को हो चुका था थाने के कार्यालय में आया उसका पुनः मजीद बयान हुआ जिसमे उसने बताया कि घटना से चार दिन पूर्व मृतक शुभम मणि ने उसे बताया था कि जब वह शाम को घर आ रहा था तो झण्डा चौराहे पर सन्तोष बाजपेई पुत्र शीतला प्रसाद बाजपेई निवासी–13/202 मिश्रा कालोनी गंगाघाट उन्नाव ने उसे रोक कर कहा था कि वह दिव्या अवस्थी भाभी के काम में अड़ंगा डालते हो सुधर जाओ नहीं तो उसे जान से मार दूंगा। दिव्या भाभी, यशु अवस्थी, कन्हैया अवस्थी सबकी निगाह में वह चढ़ गया। वह अपना दिन पूरे समझे। भला चाहते हो तो फालतू के काम बन्द करके दिव्या अवस्थी से माफी मांग लो नहीं तो उनके प्रकोप से नहीं बचोगे। साहब उसे पता है कि सन्तोष बाजपेई, दिव्या अवस्थी के साथ चलता है। इस घटना मे कचेहरी में बनी योजना में कचेहरी मे दिव्या के साथ था तथा दिनांक 19.06.2020 को शुभम मणि की हत्या में यह भी शामिल है जब से शुभम मणि की हत्या हुयी है तब से यह फरार चल रहा है। इस बयान के आधार पर उसी दिन प्रार्थी को गिरफ्तार कर लिया गया और उसका चालान भेज दिया गया।

आधार उन्मोचन में प्रार्थी/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया है कि साक्षी मोहित कुमार शुक्ला के मजीद बयान में जो तथ्य आये है उन तथ्यों का मेल उसके प्रथम बयान दिनांक 20.06.2020 से नहीं होता है। साक्षी मोहित कुमार शुक्ला ने अपने प्रथम बयान में हत्या की योजना दिव्या अवस्थी आदि द्वारा उन्नाव कचेहरी मे बनाये जाने के सम्बन्ध मे एक भी शब्द नहीं कहा है। प्रार्थी की गिरफ्तारी के पूर्व गिरफ्तार किये गये अभियुक्तो द्वारा दिये गये बयानो में प्रार्थी का नाम नहीं लिया गया। प्रार्थी के विरूद्ध कोई ऐसी साक्ष्य नहीं है जिससे यह प्रतीत होता हो कि प्रार्थी व अभियुक्तो के मध्य मृतक की हत्या का षडयन्त्र रचा गया हो और उस षडयन्त्र के तहत मृतक की हत्या की गयी हो। मोहित कुमार शुक्ला के मजीद बयान में जो तथ्य मृतक शुभम मणि द्वारा उसे बताये गये वो या तो धारा–506 भा0दं0सं0 की श्रेणी में अथवा 307 भा0दं0सं0 की परिधि में आते है जबकि उसके बाबत कोई भी शिकायत या मुकदमा प्रार्थी द्वारा पंजीकृत नहीं कराया गया है। बिना पर्याप्त साक्ष्य के प्रार्थी को संगीन धाराओ में फंसाया गया है। पूरी पत्रावली पर ऐसा कोई साक्ष्य

नहीं है जिससे प्रार्थी की कथित घटना में संलिप्तता साबित हो रही हो। उपरोक्त तथ्यो को दृष्टिगत रखते हुये प्रार्थी को उन्मोचित करने की याचना की है एवं प्रार्थना पत्र के समर्थन में प्रार्थी/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता की ओर से निम्न विधि व्यवस्था प्रस्तुत की हैः– Kehar Singh Versus The State (Delhi Adminstration) (1988) 3 SCC 609.

अभियोजन पक्ष के ओर से सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी ने उक्त प्रार्थना पत्र पर मौखिक विरोध करते हुए कथन किया गया है कि अभियुक्त संतोष बाजपेई ने अन्य सह अभियुक्तगण के साथ मिलकर वादी के भाई शुभममणि त्रिपाठी की हत्या करके जघन्य अपराध कारित किया है तथा अभियुक्त के उन्मोचन हेतु प्रस्तुत प्रार्थना पत्र 14ख अन्तर्गत धारा–227 दं0प्र0सं0 निरस्त किये जाने की याचना की है।

मैंने उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण को सुना एवं पत्रावली का सम्यक अवलोकन किया।

पत्रावली के अवलोकन से विदित होता है कि अभियोगी/वादी ऋषभमणि त्रिपाठी ने अपने भाई की हत्या के बाबत अभियुक्तगण दिव्या अवस्थी, कन्हैया अवस्थी, राघवेन्द्र अवस्थी उर्फ यशू, मोनू लुटेरा, शहनवाज बिहारी, कौशल किशोर उर्फ अपराधी बाबा, स्वरूप चन्द्र शर्मा उर्फ रानू शर्मा, कपिल कटारिया, अतुल दुबे व विकास दीक्षित आदि के विरूद्ध थाना गंगाघाट में प्रथम सूचना रिपोर्ट दिनांक 19.06.2020 को समय 23.10 बजे, अन्तर्गत धारा–147,148,149,302,34 भा0दं0सं0 में दर्ज करायी कि वादी का भाई शुभममणि त्रिपाठी जो पेशे से पत्रकार था और कम्पूमेल दैनिक समाचार पत्र के उन्नाव जिला के जिला सवांददाता था और मणि टेलीकाम झण्डा वाला चौराहा पोनी रोड शुक्लागंज थाना कोतवाली गंगाघाट जिला उन्नाव में कार्यालय था। कुछ दिन पहले प्रार्थी के भाई के कार्यालय पर भू–मफिया दिव्या अवस्थी पत्नी कन्हैया अवस्थी, कन्हैया अवस्थी व राघवेन्द्र अवस्थी उर्फ यशू पुत्रगण स्व0 नरेन्द्र अवस्थी निवासीगण शक्ति नगर शुक्लागंज थाना कोतवाली गंगाघ ाट जिला उन्नाव व उनके सहयोगी मोनू लुटेरा, शहनवाज बिहारी, कौशल किशोर उर्फ अपराधी बाबा, स्वरूप चन्द्र शर्मा उर्फ रानू शर्मा, कपिल कटारिया, अतुल दुबे, विकास दीक्षित आदि सभी लोगों ने वादी के भाई के आफिस में तोड़–फोड़ की थी और जान से मारने के इरादे से कई राउण्ड फायर भी की थी जिसका मुकदमा वादी के भाई शुभम मणि त्रिपाठी ने थाना कोतवाली गंगाघाट, उन्नाव में उपरोक्त लोगों के विरूद्ध पंजीकृत कराया था। जब से प्रार्थी के भाई ने उपरोक्त लोगों के विरूद्ध मुकदमा पंजीकृत कराया था तब से उपरोक्त सभी लोग वादी के पूरे परिवार को प्रताड़ित करते थे और यह धमकी देते थे कि यदि मुकदमे में सुलह नहीं लगाई तो

पूरे परिवार को नष्ट कर देंगे। घटना दिनांक 19.06.2020 समय लगभग 03.30 बजे दिन की है वादी का भाई शुभम मणि त्रिपाठी निजी कार्य से कचहरी उन्नाव गया था कचहरी के पास ही उपरोक्त अभियुक्तगण ने दो गाड़ियो से वादी के भाई का पीछा कर लिया था और वादी का भाई मुख्तार निवासी अहमद नगर शुक्लागंज की मोटर साइकिल में बैठ कर जान बचा कर शुक्लागंज की तरफ भाग आया। वादी का भाई जैसे ही सहजनी चौराहे से लगभग 100 मीटर आगे पहुंचा था कि तभी उपरोक्त दिव्या अवस्थी पत्नी कन्हैया अवस्थी, कन्हैया अवस्थी व रावेन्द्र अवस्थी उर्फ यशू पुत्रगण स्व0 नरेन्द्र अवस्थी निवासीगण शक्ति नगर शुक्लागंज, थाना कोतवाली गंगाघ ाट, जिला उन्नाव व उनके सहयोगी मोनू लुटेरा, शहनवाज बिहारी, कौशल किशोर उर्फ अपराधी बाबा, स्वरूप चन्द्र शर्मा उर्फ रानू शर्मा, कपिल कटारिया, अतुल दुबे, विकास दीक्षित गाड़ियो से पीछे आ गये और वादी के भाई शुभममणि त्रिपाठी पर जान से मारने की नियत से ताबड़तोड गोलियां बरसाई जिससे वादी का भाई मौके पर ही लहू लुहान हो गया और मौके पर ही उसने दम तोड़ दिया। फिर भी वादी ने अपने भाई को हैलेट हास्पिटल कानपुर लेकर आया जहां डाक्टरो ने उसे मृत घोषित कर दिया।

केस डायरी के पर्चा नं0–12 में मजीद बयान गवाह मोहित कुमार शुक्ला ने कथन किया है कि वह और शुभममणि त्रिपाठी बहुत ही घनिष्ठ मित्र था व शुभममणि त्रिपाठी ने घटना के 4 दिन पहले उसे बताया था कि संतोष बाजपेई ने दिव्या अवस्थी के काम में अड़गा डालने के कारण जान से मारने की धमकी दी है। इस घटना में कचहरी में बनी योजना में भी संतोष बाजपेई दिव्या अवस्थी के साथ था तथा दिनांक 19.06.2020 को शुभममणि की हत्या में यह भी शामिल है। केस डायरी के पर्चा नं0–16 में अभियुक्त मोनू खान उर्फ मोनू लुटेरा ने कथन किया है कि दिनांक 19.06.2020 को अब्दुल बारी ने उसे बताया था कि आज शुभममणि मुख्तार के साथ उन्नाव गया हुआ है तब वह व संतोष बाजपेई व अन्य साथी उन्नाव गये और पहले से कचहरी में मौजूद दिव्या अवस्थी से मिले तो दिव्या अवस्थी ने कहा कि आज इसका काम तमाम हो जाना चाहिए। केस डायरी के पर्चा नं0–30 में अभियुक्त कपिल कटारिया उर्फ कपिल देव ने कथन किया है कि सूफियान व अब्दुल बारी के रैकी कर सूचना देने पर कि आज शुभममणि घर से कचहरी उन्नाव गया है तब यशू अवस्थी के साथ वह व सन्तोष बाजपेई व अन्य साथी उन्नाव कचहरी आये और कचहरी में दिव्या अवस्थी से मिले तब दिव्या अवस्थी ने कहा था कि आज बचने न पाये जाओ फील्डिंग लगा दो आज काम हो जाना चाहिये। केस डायरी के पर्चा नं0–33 में अभियुक्त राघवेन्द्र अवस्थी उर्फ यशू ने कथन किया है कि दिनांक 19.06.2020 को अब्दुल बारी ने रैकी करते हुये बताया था कि आज शुभम मणि मुख्तार के साथ उन्नाव गया हुआ है तब वह व सन्तोष बाजपेई व अन्य साथी अपने

गाड़ी से उन्नाव कचहरी आये और दिव्या अवस्थी से बात किया तो दिव्या अवस्थी ने कहा कि आज शुभममणि का तुम लोगों को खात्मा कर देना है एवं केस डायरी के पर्चा नं0–46 में विवेचक द्वारा अभियुक्त सन्तोष बाजपेई व अन्य सहअभियुक्तगण के विरूद्ध पर्याप्त साक्ष्य होने पर अर्न्तगत धारा–302,120बी,34 भा0दं0सं0 व 7 सी0एल0ए0 एक्ट में आरोप पत्र दिनांक 20.09.2020 को न्यायालय प्रेषित किया गया, का भी अंकन है। प्रार्थी/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता ने जो विधि व्यवस्था प्रार्थना पत्र के समर्थन में प्रस्तुत की है उसका ससम्मान अवलोकन किया गया। उक्त विधि व्यवस्था के तथ्य की प्रकृति, इस केस के तथ्य की प्रकृति से भिन्न होने के कारण इस मामले में लागू नहीं होती है।

अतः पत्रावली पर उपलब्ध अभियोजन के प्रपत्रों के अवलोकन एवं उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण के तर्क को सुनने के बाद न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचती है कि अभियुक्त सन्तोष बाजपेई के विरूद्ध कार्यवाही करने का आधार पर्याप्त है।

<u>आदेश</u>

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र 14ख अन्तर्गत धारा–227 दं0प्र0सं0 बाबत अभियुक्त सन्तोष बाजपेई के उन्मोचन को निरस्त किया जाता है। पत्रावली आरोप सृजन हेतु दिनांक 20.10.2021 को नियत की जाती है।

दिनांक–16.10.2021

अपर सत्र न्यायाधीश/फास्ट ट्रैक कोर्ट, उन्नाव।